क्रमांक **181-ज(I)-84/6283**.—श्री करतार सिंह, पुत्र श्री महां सिंह, गांव भोन्डमी, तहसील व जिला गुड़गांवा, की दिनांक 12 जुलाई, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री करतार सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1401-ज-II-74/40138, दिनांक 3 दिसम्बर, 1974 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सरूपवती के नाम रबी, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 9 मार्च, 1984

क्रमांक **198-ज(I)-84/6678**.—श्री सावण सिंह, पुत्र श्री चेत सिंह, गांव नमडोली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला की दिनांक 6 नवम्बर, 1982 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सावण सिंह को मुबलिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 274-ज.-(I)-78/7222, दिनांक 10 मार्च, 1978, तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-जे (I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भाग कौर के नाम खरीफ, 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तगर्त प्रदान करते हैं।

क्रमांक **142-ज-I-84/6682**.—हरियाणा सरकार राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 1211-ज-I-83/39912, दिनांक 1 दिसम्बर, 1983 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 27 दिसम्बर, 1983 को प्रकाशित हुई है की चौथी कतार में "400 रुपये" की बजाये "300 रुपये" पढ़ा जाये।

दिनांक 16 मार्च, 1984

क्रमांक **174-ज-(II)-84/7538**.—श्री पूरन सिंह, पुत्र श्री दिलसुख, गांव झाडली, तहसील झज्जर, (अब कोसली), जिला रोहतक, की दिनांक 3 सितम्बर, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पूरन सिंह की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 8062-आर-(4)-67/499, दिनांक 2 फरवरी, 1968 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती मनभरी के नाम रबी, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **173-ज-(II)-84/7542**.—श्री अमर चन्द, पुत्र श्री गंगा सहाय, गांव श्याम नगर, तहसील झज्जर, (अब कोसली), जिला रोहतक, की दिनांक 20 जनवरी, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री अमर चन्द की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना 295-ज-(II)-77/8548, दिनांक 5 अप्रैल, 1977 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-जे-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सरती देवी के नाम रबी 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **261ज-(II)-84/7546**.—श्री चन्दन सिंह, पुत्र श्री भीखा राम, गांव बहु अकबरपुर, तहसील व जिला रोहतक, की दिनांक 1 जनवरी, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री चन्दन सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 429-ज-(I)-74/19971, दिनांक 18 जून, 1971 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती मेहर कौर के नाम खरीफ 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।